भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2648

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप इंडिया पहल

2648. श्री नवीन जिंदलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्ट-अप इंडिया पहल की प्रक्रिया में शुरुआत से लेकर अब तक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सहायता देने और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के बीच सीमा पार सहयोग की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) नियामक अनुपालन, मार्गदर्शन आवश्यकताओं और निवेश तैयारी की वास्तविक समय ट्रैकिंग युक्त एआई-संचालित राष्ट्रीय स्टार्टअप रजिस्ट्री बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को गैर-इक्विटी पूंजी तक पहुँचने में सहायता के लिए ऋण गारंटी या वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल आरंभ किए गए हैं या आरंभ करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या नवाचार, आय सृजन और डिजिटल समावेशन के संदर्भ में भारतीय स्टार्टअप्स के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत कुल 1,80,683 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में

मान्यता प्रदत्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार (यूटी) और वर्षवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): सरकार कुछ विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान कर रहे हैं और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी सरकारी पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप, 30 जून 2025 तक, स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कुल 1,80,683 कंपनियों में से 87,285 में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार हैं।

(ग): सरकार ने भारतीय स्टार्टअप्स और वैश्विक हितधारकों के बीच सीमा-पार सहयोग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए कई पहलें की हैं।

इनमें स्टार्टअप्स तथा निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और अन्य हितधारकों का सह-संपर्क बढ़ाने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ और ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन जैसे प्रमुख आयोजन शामिल हैं। द्विपक्षीय पहलें (जैसे स्टार्टअप ब्रिज) विभिन्न देशों से ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है और भारतीय स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इन्क्यूबेशन और नेटवर्किंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से, सरकार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही, प्रतिनिधिमंडलों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में ले जाया जाता है, जो नवप्रयोगों को प्रदर्शित करने, नेटवर्क बनाने और वैश्विक दृश्यता प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

(घ): स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (https://www.startupindia.gov.in/) स्टार्टअप ईकोसिस्टम का राष्ट्रीय पोर्टल है, जिसे स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया है। यह स्टार्टअप्स के लिए नीतिगत मामलों, विनियमों के बारे में अपडेट रहने और विभिन्न पहलों और स्कीमों तक पहुंच स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक व्यापक पोर्टल है। ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणपत्र सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। इनका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत

सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता सत्यापित करने हेतु किया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्टार्टअप पोर्टल, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) को संभव बनाता है और बढ़ावा देता है, जिससे स्टार्टअप मान्यता और प्रामाणिकता सत्यापन तंत्र में समन्वय स्थापित होता है।

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में बड़े स्टार्टअप ईकोसिस्टम के बीच अंतर्संबंध को संभव बनाने के लिए विभिन्न माइक्रोसाइटें भी शामिल हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग (एसआरएफ), राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, मेंटरशिप, सलाहकार, सहायता, दीर्घकालिकता और विकास (मार्ग) मेंटरशिप कार्यक्रम आदि ऐसी माइक्रोसाइटों के माध्यम से होस्ट किए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साझेदार संस्थानों के लिए नवप्रयोग चुनौतियों के प्रबंधन में भी सहायता करता है।

(ङ): सरकार ने स्टार्टअप्स को गैर-इक्विटी पूंजी तक पहुंच स्थापित करने में सहायता के लिए ऋण गारंटी और वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल आंरभ किए हैं।

सरकार स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) लागू कर रही है ताकि डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त पात्र स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋण लिखत के आधार पर ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। यह स्कीम स्टार्टअप्स के लिए बंधक रहित ऋण वित्तपोषण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

इसके अलावा, अनुदान और ऋण के रूप में वित्तपोषण की सुविधा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), इन-स्पेस सीड फंड, नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय नवप्रयोग विकास और दोहन नवप्रयोग (निधि) कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) कार्यक्रम, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग (आईडेक्स), प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ), टाइड 2.0 (उद्यमियों हेतु प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और विकास) स्कीम और अनुसंधान विकास एवं नवप्रयोग (आरडीआई) जैसी स्कीमों/पहलों के माध्यम से संभव हो पाई है।

(च): स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) जैसी प्रमुख स्कीमों हेतु प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं।

अध्ययनों में कहा गया है कि एफएफएस ने घरेलू निधि प्रबंधकों को शुरुआती चरणों में मदद की है, एफएफएस के माध्यम से एआईएफ द्वारा पूंजी जुटाने पर प्रबल प्रभाव डाला है और स्टार्टअप्स में रोजगार सृजन और विविधता लाने की दिशा में सहायता प्रदान की है। इन अध्ययनों ने निधि प्रबंधन की दिशा में एक ठोस प्रतिभा पूल के विकास में एफएफएस के योगदान पर भी प्रकाश डाला है। जिसमें निधियों की एंकरिंग करना, निधि प्रबंधकों को प्रोत्साहित करना और एआईएफ के भीतर सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। विगत समय में सहायताप्राप्त स्टार्टअप्स का कुल राजस्व बढ़ा है, जिसके साथ ही रोजगार में भी इसी अनुपात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

एसआईएसएफएस के लिए, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन स्टार्टअप्स हेतु अत्यंत आवश्यक सीड पूंजी प्रदान करने में इस स्कीम की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो देश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा, इस अध्ययन तथा सर्वेक्षण में बहुसंख्य स्टार्टअप्स ने एसआईएसएफएस से निधि प्राप्त करने के बाद अपने वार्षिक कारोबार और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की सूचना दी, जो उनके व्यावसायिक संचालन और राजस्व सृजन में वृद्धि का द्योतक है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2648 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	2	8	5	13	9	13	20	6
आंध्र प्रदेश	4	103	161	179	235	298	381	585	606	598
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	2	0	4	9	18	13	24
असम	10	35	68	71	119	190	285	361	347	261
बिहार	1	47	148	158	265	390	526	813	842	576
चंडीगढ़	9	22	27	41	55	69	81	126	102	59
छत्तीसगढ़	11	57	121	166	155	167	237	362	460	236
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	4	1	3	5	12	12	11	16	10
दिल्ली	74	742	1190	1451	1816	2216	2580	3160	2852	1840
गोवा	2	20	44	43	67	81	107	98	125	87
गुजरात	29	299	449	644	881	1728	2282	3295	3444	2168
हरियाणा	28	270	488	730	831	1071	1335	1743	1731	1178
हिमाचल प्रदेश	0	9	17	31	41	56	120	144	145	83
जम्मू और कश्मीर	2	15	47	38	64	131	170	246	275	222
झारखंड	2	35	88	89	165	191	239	337	331	229
कर्नाटक	67	889	1212	1746	1776	2157	2568	3034	3173	2105
केरल	25	172	333	669	710	923	1078	1296	1155	786
लद्दाख	0	0	1	0	1	1	5	5	5	1
लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
मध्य प्रदेश	7	108	297	335	427	562	898	1267	1194	789
महाराष्ट्र	93	1107	1662	2227	2736	3736	4812	5816	5736	3745
मणिपुर	0	4	7	6	13	37	31	26	55	32
मेघालय	0	0	2	6	0	9	10	18	17	10

मिजोरम	0	0	2	1	1	2	6	13	16	11
नागालैंड	1	4	2	2	5	7	7	22	35	18
ओडिशा	4	115	168	187	280	397	451	620	547	392
पुदुच्चेरी	0	3	16	11	14	17	30	43	27	30
पंजाब	7	31	70	99	146	244	294	443	406	273
राजस्थान	14	140	246	358	503	622	992	1445	1246	899
सिक्किम	0	1	0	2	1	4	2	2	0	4
तमिलनाडु	52	272	459	632	772	1107	1811	2816	2656	1447
तेलंगाना	20	328	512	620	819	994	1381	1760	1809	1404
त्रिपुरा	0	0	4	7	23	12	27	23	45	23
उत्तर प्रदेश	28	414	789	905	1401	1980	2582	3434	3487	2449
उत्तराखंड	4	45	69	98	114	162	236	271	269	211
पश्चिम बंगाल	8	181	276	320	405	692	1002	1174	1107	771
कुल	**502**	**5473**	**8980**	**11885**	**14852**	**20282**	**26596**	**34842**	**34294**	**22977**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2648 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का सहयोग करने और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए कार्यक्रम:

1. महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में इक्विटी और ऋण दोनों के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम में निधि का 10 प्रतिशत महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।

2. महिलाओं के नेतृत्व वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ उन एआईएफ को भी दिया जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स पर केंद्रित हैं।

3. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्था को संवितरित/बकाया राशि का प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करना होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों वाली इकाइयों के लिए, सदस्य संस्था, संवितरित/बकाया राशि का प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत मानक दर का भुगतान करती है।

4. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एक विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित दोनों प्रकार की महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा को चिह्नित करने और सहायता करने के लिए है। प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। ये कार्यशालाएं, उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। 'विंग' कार्यशालाओं ने समस्याओं का समाधान पाने के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

5. महिला उद्यमियों हेतु प्रो-बोनो एक्सीलेरेशन सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, आयोजित किया गया था।

6. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

7. महिलाओं के लिए एसेंड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप्स कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, उभरते उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की श्रृंखला-एसेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं।

8. सुपरस्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट सीरीज शुरू की गई है। ये पॉडकास्ट महिलाओं में नवप्रयोग से संबंधित जागरूकता बढ़ाते हैं और देश में महिला उद्यमिता को और अधित सुदृढ़ बनाते हैं।

9. महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, परामर्श, व्यवसाय सहायता, उत्पाद और बाजार समर्थन, और निवेशक कनेक्ट सहित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्टार्टअप लर्निंग प्रोग्राम और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

10. विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा, सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती है। ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाते हैं।

11. महिलाओं के लिए स्टार्टअप्स: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों के क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों हेतु सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

इन कार्यशालाओं में सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

12. राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की वार्ता: "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, भारत की माननीय राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला। इस वार्ता में नवप्रयोग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भारत के बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम में योगदान देने में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। माननीय राष्ट्रपति ने आइडिया को उद्यम में बदलने के उनके प्रयासों की सराहना की और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में उनकी सफलता के महत्व पर जोर दिया।

13. स्टार्टअप ईकोसिस्टम की सहायता के संदर्भ में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन तथा विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं।

14. देश में नवप्रयोग, समावेशिता और विविधता तथा उद्यमशीलता की व्यापकता, गुणवत्ता की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की शुरुआत की है। एनएसए सभी क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है।

15. पिच फॉरवर्ड, विशेष रूप से गैर-महानगरों की महिला उद्यमियों को प्रमुख निवेशकों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करने की एक पहल है। यह पहल स्टार्टअप्स को विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में सीधे उद्यम पूंजी निधि में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है।

16. अन्य मंत्रालय और विभाग भी महिला उद्यमिता और क्षमता निर्माण की दिशा में सहायता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को लागू कर रहे हैं, जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के लिए डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता विकास, आदिवासी महिला सशक्तीकरण स्कीम (एएमएसवाई), संकल्प: एचईडब्ल्यू (पोषण और ज्ञान-आधारित उन्नति, अंतिम मील वितरण और महिलाओं के क्षमता विकास के लिए सहायक कार्रवाई: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब), महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी), महिलाओं

के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसटीडब्ल्यू) कार्यक्रम, स्वावलंबिनी - महिला उद्यमिता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी), कौशल उन्नयन और महिला कॉयर स्कीम, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम और सार्वजनिक खरीद में प्रोत्साहन।

*****